रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 2019/आश्विन 30, 1941
No. 627] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2019/ASVINA 30, 1941

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. 802(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय (महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम) उपनिदेशक प्रशिक्षण (समूह 'क' राजपत्रित) भर्ती नियम, 1989 तथा प्रशिक्षण निदेशालय (महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम) संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण (समूह 'क'- राजपत्रित) भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन नियत कर्मकार इकाई में उपनिदेशक प्रशिक्षण तथा संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण महानिदेशालय (महिला प्रशिक्षण), उपनिदेशक प्रशिक्षण तथा संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण समूह 'क' भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
उपनिदेशक प्रशिक्षण।	20* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर –11 (67,700-2,08,700 रुपए)	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
9.	10.	11.
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	**प्रोन्नति-** स्तर-10 में ऐसे सहायक निदेशक प्रशिक्षण, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा किसी सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से प्रशासन या वित्त या योजना और नीति निर्माण, नेतृत्व कौशल आदि के क्षेत्र में चार सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पणः** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होनें अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्हें अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता से सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापर्वक पूरी कर ली हो।

		प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारीः (क) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-10 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो; और (ख) जो निम्नानुसार शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों- **आवश्यकः** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्यूनिकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, फैशन डिजायनिंग) में स्नातक, (ii) संसद या राज्य विधान सभा या स्वाशासी निकायों या राज्य के पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या संघ राज्य क्षेत्र या केन्द्रीय सरकार के अधिनियम द्वारा बनाए गए किसी सरकारी संगठन या विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में पांच वर्ष का औद्योगिक या शैक्षणिक अनुभव **वांछनीयः** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यवसाय प्रशासन में मास्टर (एम.बी.ए.) **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12.	13.
विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: - 1. विशेष सचिव या अपर सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय – अध्यक्ष; 2. महानिदेशक या संयुक्त सचिव, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय –सदस्य; 3. उप-महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय – सदस्य; 4. निदेशक और उप-सचिव (प्रशासन), प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय – सदस्य।	अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के चयन के समय (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श करना आवश्यक है।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण	02* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा अननुसचिवीय समूह 'क' राजपत्रित।	स्तर – 12 (78,800-2,09,200 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

9.	10	11.
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नतिः-** स्तर-11 में ऐसे उप निदेशक, प्रशिक्षण जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से प्रशासन या वित्त या योजना तथा नीति निर्माण, नेतृत्व कौशल आदि के क्षेत्र में चार सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

12.	13.
विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी- 1. सचिव या अपर सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय –सदस्य; 2. महानिदेशक या संयुक्त सचिव, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय –सदस्य; 3. उप महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय –सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. डीजीटी-ए-12018/01/2005-प्रशा.II (भाग)]

राजेश अग्रवाल, महानिदेशक/अपर सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(DIRECTORATE GENERAL OF TRAINING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2019

G.S.R. 802(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Training (Vocational Training Programme for Women) Deputy Director of Training (Group 'A' – Gazetted) Recruitment Rules, 1989 and Directorate of Training (Vocational Training Programme for Women) Joint Director of Training (Group 'A' – Gazetted) Recruitment Rules, 1989 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director of Training and Joint Director of Training in the workmen's unit as fixed by the Central Government under Women Training, Directorate General of Training, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Directorate General of Training (Women Training), Deputy Director of Training and Joint Director of Training, Group 'A', Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.–** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .–** The method of recruitment, age - limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–** No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limits for direct recruits.	Educational and other qualifi-cations required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Deputy Director of Training	20* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	Level-11 (Rs.67,700-2,08,700)	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	**Method of recruitment:** whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, deputation or absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Not applicable	Promotion failing which deputation including short term contract.	**Promotion:-** Assistant Director of Training in Level-10 with five years of regular service in the grade and having successfully completed training of four weeks duration in the area of Administration or

		Finance or Planning and Policy Formation, Leadership skills etc., from any Government or Government recognized Training Institute. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **By deputation (Including short term contract basis):-** Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory Organization or Public Sector Undertakings or University or Recognized Research Institution: (A)(i) Holding analogous posts on regular basis in parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-10 or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the following educational qualifications and experience as under:- **Essential:** (i) A degree in Engineering or Technology (Electronics and Communication, Information Technology, Computer Science, Fashion Designing) from a recognized University or Institute; (ii) Five years industrial or teaching experience in relevant field from any Government organization or University or Institution created by an act of Parliament or State legislature or autonomous bodies or PSUs of state or UT or Central Government. **Desirable:** (i) Master of Business Administration from a recognized University or Institute. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications. **Note 3:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Special Secretary or Additional Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – Chairman; 2. Director General or Joint Secretary, Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – Member; 3. Deputy Director General, Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship -Member; 4. Director or Deputy Secretary (Administration), Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while selecting an officer for appointment on deputation (Including short term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Joint Director of Training	02* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	Level - 12 (Rs.78,800-2,09,200)	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion	**Promotion:** Deputy Director of Training in Level-11 with five years of regular service in the grade and having successfully completed training of four weeks duration in the area of Administration or Finance or Planning and Policy Formation, Leadership skills etc., from any Government or Government recognized Training Institute.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Secretary or Additional Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – Member; 2. Director General or Joint Secretary, Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship -Member; 3. Deputy Director General, Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - Member.	Consultation of Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. DGT-A-12018/01/2005-Adm.-II(Pt.)]

RAJESH AGGARWAL, Director General/Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.10.23 22:01:58 +05'30'